इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



## मध्यप्रदेशा राजपन्न

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2017-भाद्र 17, शक 1939

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. डी-15-45-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 69 के द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्स ग्रीष्मकालीन मूंग, ग्रीष्मकालीन उड़द, "प्राईज सर्पोट स्कीम (PSS)" के अन्तर्गत एवं तुअर, प्याज "बाजार हस्तक्षेप योजना" (Market Intervention) में खरीदी की गई है और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को दिये जाने का विनिश्चय राज्य शासन के द्वारा किया गया है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा "प्राईज सर्पोट स्कीम" के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स ग्रीष्मकालीन मूंग, ग्रीष्मकालीन उड़द एवं "बाजार हस्तक्षेप योजना" के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स तुअर, प्याज की प्रदेश के किसानों से क्रय मात्रा पर, देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की जाती है.

मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट उपार्जन प्रारम्भ होने के दिनांक से 31 जुलाई 2017 तक मान्य होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **बी. एस. धुर्वे**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. डी-15-45-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **बी. एस. धुर्वे,** उपसचिव.

## Bhopal, the 8th September 2017

No. D-15-45-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under the provisions of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have resolved to maximize the benefit to the farmers of the State, of Government of India's/State Government's "Price Support Scheme" under which, notified agriculture produce Summer Moong, Summer Urad and "Market Intervention Scheme" under which notified agriculture produce Tuar, Onion have been purchased by the agencies appointed by Government of India/State Government.

In exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempt the agencies appointed by Government of India/State Government for procurement of notified agruculture produce Summer Moong, Summer Urad under "Price Support Scheme" and notified agriculture produce Tuar, Onion under "Market Intervention Scheme" purchased from the farmers of the State, from payment of market fee.

The above exemption from payment of market fee shall be effective from date of beginning of procurement till 31st July 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.